राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –01/2024 निगरानी

1. कौसर परवीन गौरी पुत्री भूरे खां गौरी निवासी हुरड़ा हाल मुकाम 36, गांधीनगर कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. सलीम शहजादा पिता भूरे खां गौरी निवासी हुरड़ा हाल मुकाम 2–सी–36, चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा–राज. प्रधानाध्यापक महात्मा गांधी राजकीय विघालय हरणीकलां, भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत हुरड़ा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत हुरड़ा जरिए सचिव ग्राम पंचायत हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा जारी बापी पट्टा जो बिना पंचायत की मुद्रा से दिनांक 30/11/1975 को जारी

उपस्थित –

1. श्री रेखा ओझा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत हुरड़ा ने विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जरिये बापी पट्टा लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होकर पत्रावली क्रमांक 196 दिनांक 28/10/1975 निर्मित की जाकर दिनांक 30/11/1975 को बिना हस्ताक्षर सरपंच व सेक्रेट्री का पंचायती मुद्रा से जारी किया, जिसके कोई क्रमांक पट्टे के नहीं है, न पंचायत की मुद्रा लगी हुई है। उक्त पट्टा पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या–1 को पट्टा जारी किया गया, उस

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

समय विपक्षी संख्या 1 नाबालिग था, जो अवैध व शून्य होकर Null and Avoid होने से निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नही की गयी एवं न ही आपत्ती पत्र सहज स्थान पर चस्पा किया गया। निगराकार व विपक्षी संख्या–1 आपस में सगे भाई–बहन होकर भूरे खां की संतान है एवं पुश्तैनी मकान का निगराकार ने जो सिविल वाद संख्या–86/2023 ई.दी. पेश कर रखा है, उसमें भी जवाबदावे में बापी पट्टे की फोटो प्रति पेश की है, जिसके जवाबदावे की नकल भी निगराकार को दिनांक 05/12/2023 को मिलने से जानकारी हुई एवं दिनांक 07/12/2023 को सूचना के अधिकार तहत प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत में पेश कर दिया, जिसकी नकल दिनांक 08/01/2024 को निगराकार को प्राप्त हुई। इससे जानकारी होने से अन्दर अवधि यह निगरानी तुरन्त प्रभाव से पेश है, फिर भी निगरानी पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा जारी पट्टा संख्या–NIL दिनांक 30/11/1975 का विपक्षी संख्या 1 सलीम शहजादा पुत्र भूरे खां के नाम पर जारी किया गया बापी पट्टा पत्रावली संख्या 196, दिनांक 28/10/1975 से जारी उक्त तथाकथित बिना संख्या व नम्बर का पट्टा दिनांकित 30/11/1975 को बिना सरपंच/सेक्रेट्री के हस्ताक्षरों से जारी किये गये उक्त बापी पट्टे को खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत हुरड़ा ने विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जरिये बापी पट्टा पत्रावली क्रमांक 196 दिनांक 28/10/1975 से दिनांक 30/11/1975 को बिना हस्ताक्षर सरपंच व सेक्रेट्री का पंचायती मुद्रा से जारी किया, जिसके कोई क्रमांक पट्टे के नहीं है, न पंचायत की मुद्रा लगी हुई है। उक्त पट्टा पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या–1 को पट्टा जारी किया गया, उस समय विपक्षी संख्या 1 नाबालिग था, जो अवैध व शून्य होकर Null and Avoid होने से निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व कोई

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नही की गयी एवं न ही आपत्ती पत्र सहज स्थान पर चस्पा किया गया। प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा जारी पट्टा संख्या–NIL दिनांक 30/11/1975 का विपक्षी संख्या 1 सलीम शहजादा पुत्र भूरे खां के नाम पर जारी किया गया बापी पट्टा पत्रावली संख्या 196, दिनांक 28/10/1975 से जारी उक्त तथाकथित बिना संख्या व नम्बर का पट्टा दिनांकित 30/11/1975 को बिना सरपंच/सेक्रेट्री के हस्ताक्षरों से जारी किये गये उक्त बापी पट्टे को खारिज फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार ने न्यायालय में सही तथ्यों को छिपाते हुये हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न होने से काबिल खारिजी के है। वास्तविकता इस प्रकार है कि हस्तगत जायदाद का पट्टटा विलेख विपक्षी की माता नियाजी पत्नि भुरे खां के द्वारा किये गये आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आपत्तियाँ आमन्त्रित कर मौके व कब्जे की सम्पूर्ण जाँच–पड़ताल करने उपरान्त विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया है, जिसे निगराकार कोई किसी प्रकार से निरस्त कराने की कानूनन अधिकारिणी नहीं है। हस्तगत पटटेशुदा जायदाद कोई किसी प्रकार से निगराकार की पुश्तैनी जायदाद नहीं है और न उक्त जायदाद में निगराकार का कोई हक हिस्सा निहित है। इसके अलावा मुस्लिम विधी के अन्तर्गत पुश्तैनी जायदाद का कोई स्टेटस नहीं होता है। निगराकार ने मात्र दुर्भावनावश गलत बयानी करते हुये हस्तगत निगरानी विपक्षी को हैरान परेशान करने की गरज से पेश की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। हस्तगत पट्टा विलेख वर्ष 1975 का जारीशुदा है, जिसे अवधि 50 वर्ष हो चुका है। हस्तगत निगरानी सर्वथा बेरून मियाद होने से प्रथमदृष्टया की कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न होने से खारिज फरमाया जावे ।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1975 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 50 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों के साथ मिसल पत्रावली की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की गयी। ऐसे में मिसल पत्रावली

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा अत्यधिक मियाद बाधित पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा।

अति. जिला कलेक्टर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)